**प्रेस विज्ञप्ति**
**23.06.2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स धनलक्ष्मी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड (डीएलपीएल), उसके निदेशकों तथा उससे संबद्ध संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध चल रही धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत **35.52 करोड़ रुपये** मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जो भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल थे, द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पंजीकृत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने बैंक संघ से विभिन्न ऋण एवं क्रेडिट सुविधाएं धोखाधड़ीपूर्वक प्राप्त कीं तथा ऋणदाता बैंकों को 356.31 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय हानि पहुंचाई।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि मेसर्स धनलक्ष्मी सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके प्रवर्तकों/निदेशकों ने कथित रूप से गलत तथ्यों का प्रस्तुतिकरण कर बैंक ऋण एवं अन्य साख सुविधाएं प्राप्त कीं तथा बाद में संबंधित संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से ऋण की राशि का दुरुपयोग करते हुए उसे अन्यत्र स्थानांतरित एवं गबन कर लिया। जांच में आगे यह भी सामने आया कि बड़े पैमाने पर सर्कुलर ट्रेडिंग, फर्जी लेन-देन, आवासीय प्रविष्टियों तथा लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) का दुरुपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप अपराध से अर्जित आय को आरोपियों एवं उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से धन शोधन के जरिए वैध स्वरूप प्रदान किया गया।

जांच के दौरान ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के अंतर्गत 26.02.2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर एवं देवास स्थित पांच परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा वित्तीय अभिलेख बरामद कर जब्त किए गए।

जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों एवं सामग्री के आधार पर ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत **35.52 करोड़ रुपये** के कुल मूल्य वाली **19 अचल संपत्तियों** को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मध्य प्रदेश के इंदौर एवं शाजापुर जिलों में स्थित आवासीय फ्लैट तथा भूमि के विभिन्न भू-खंड शामिल हैं, जो आरोपित व्यक्तियों के नाम पर धारित हैं।

मामले में आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।